न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 51 वर्ष 2016

श्रीमती ज्योतिसिंह धर्मपत्नी श्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी उनियारा तहसील उनियारा

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

आदेश प्रार्थना 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
प्रार्थीया वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मोहम्मदगढ पर पेश हुयी । प्रार्थी के वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 27.5.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2018–2021 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा खाता संख्या 532 मे हवाला श्री रावराजा साहब श्री सरदारसिंहजी पुत्र श्री गुमानसिंहजी कोम राजपूत सा0 देह अंकित है तथा वादग्रस्त भूमि ख0न0 1119 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा की भूमि की किस्म मे बाग अंकित है। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार साबिक ख0न0 1119 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा से हाल ख0न0 2001 रकबा 5.08 है0 कायम हुआ है। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2060 से 2063 के अनुसार साबिक ख0न0 2001 से हाल ख0न0 2161 कायम हुये है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 929 वाके ग्राम उनियारा मे हाल ख0न0 2161 रकबा 5.08 है0 कि किस्म गे0मु0 बाग दर्ज है। नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे अंकित किया है कि भूमि की किस्म मे परिवर्तन दौराने भू प्रबन्ध हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषाओं मे उधान कृषि को कृषि मे माना गया है। जिससे बाग की किस्म गैर मुमकिन नही होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तन दोराने सेटलमेन्ट हुयी है। राजस्व लोक अदालत की भावना के मध्यनजर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम उनियारा के खाता संख्या 887 मे वर्णित आराजी ख0न0 2161 रकबा 5.08 की किस्म गै.मु. बाग के स्थान पर आराजी ख0न0 2161 रकबा 5.08 की किस्म साबिक रिकार्ड अनुसार बाग दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उनियारा, टोंक (राज०)	

Scanned by CamScanner